



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-21092026-276334
CG-RJ-E-21092026-276334

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4883]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 15, 2026/भाद्र 24, 1948

No. 4883]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 15, 2026/BHADRA 24, 1948

रेल मंत्रालय

(पश्चिम मध्य रेलवे)

अधिसूचना

कोटा, 15 सितम्बर, 2026

का.आ. 5074(अ).— केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-20 'क' के खण्ड-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में कोटा-मथुरा सेक्शन के मध्य मथुरा जिले में समपार संख्या-260 पर रोड ओवर ब्रिज निर्माण कार्य अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि के हितवद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा-20घ की उप-धारा-(1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के सम्बन्ध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, संयुक्त संगठन, मथुरा उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जायेगा और उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी जाँच करने के पश्चात्

यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा-20घ की उप-धारा-(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य व्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में कोटा-मथुरा सेक्शन के मध्य मथुरा जिले में समपार संख्या-260 पर रोड ओवर ब्रिज निर्माण कार्य हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रमांक	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	अर्जन के लिये प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
	2	3	4	5
1	सदर	उमरी	254 मि०	0.2419
2			255	0.0544
3			261	0.2025
4			291	0.0578
5			292 मि०	0.0089
6			295 मि०	0.0608
7			296 मि०	0.0041
8			297	0.0115
9			298	0.2542
10			299	0.0022
11			300	0.0409
12			341	0.0147
13			342	0.0412
14			343	0.2683
15			344 मि०	0.0522
	-	-	योग	1.3156
1	गोवर्धन	कोसी खुर्द	600	0.0066
2			601	0.1264
3			602	0.0039
4			605	0.0279
5			669	0.2547
6			670	0.0399
7			673	0.0087
8			675	0.0026
9			676	0.0262

10			678	0.0881
11			679	0.0204
12			674	0.0021
13			683	0.0060
	-	-	योग	0.6135
	-	-	कुल योग	1.9291

[कम्प्यूटर न. 260401 फा.सं.ई.-पमरे-कोटा0बीआरजीएल(जीसीबीआर)/6/2024-सीई आरएसडब्ल्यू]

सौरभ मिश्र, मुख्य परियोजना प्रबंधक

MINISTRY OF RAILWAYS

(West Central Railway)

NOTIFICATION

Kota, the 15th September, 2026

S.O. 5074(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section(I) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for the purpose of execution, Kota – Mathura section in Mathura District Construction of Road Over Bridge on LC No. 260 In District Mathura in the State of Uttar Pradesh hereby declares its intention to acquire such land :

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(I) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely Special land acquisition officer Mathura. Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of land to be acquired with or Construction work of Road Over Bridge at Level Crossing No. 260, Mathura District between Kota- Mathura Section in District in the state of Uttar Pradesh.

S.No.	Tehsil	Name of Village	Plot No.	Area propose for land Acquisition (In Hect.)
1	2	3	4	5
1	Sadar	Uamri	254 M.	0.2419
2			255	0.0544
3			261	0.2025
4			291	0.0578
5			292 M.	0.0089
6			295 M.	0.0608
7			296M.	0.0041
8			297	0.0115
9			298	0.2542
10			299	0.0022

11			300	0.0409
12			341	0.0147
13			342	0.0412
14			343	0.2683
15			344 M.	0.0522
-	-	-	Total	1.3156
1	Govardhan	Kosi Khurd	600	0.0066
2			601	0.1264
3			602	0.0039
4			605	0.0279
5			669	0.2547
6			670	0.0399
7			673	0.0087
8			675	0.0026
9			676	0.0262
10			678	0.0881
11			679	0.0204
12			674	0.0021
13			683	0.0060
-	-	-	Total	0.6135
-	-	-	Grand Total	1.9291

[Computer No. 260401 File No. E- WCR-KOTA0BRGL(GCBR)/6/2024-CERSW]

SAURABH MISRA, Chief Project Manager